रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 1970/श्रावण 2, 1892

No. 136] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1970/SRAVANA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th July 1970

G.S.R. 1100/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination) Order, 1970, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination) Ninth Amendment Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. In Schedule I to the Sugar (Price Determination) Order, 1970, the Note at the end shall be omitted.

[No. F. 2-1/70-S. Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1970

सं० का० नि० 1100/आवश्यक वस्तु/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश शर्करा (कीमत अवधारण) नवम संशोधन आदेश 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1970 की अनुसूची 1 के अन्त में आने वाले टिप्पण को लुप्त कर दिया जाएगा।

[सं० 2-1/70—एस० पी० वाई०)

आर० एस० तलवाड़, सयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970